भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतरांकित प्रश्न संख्या 2023
गुरुवार, 14 दिसंबर, 2023 / 23 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्रियों की संतुष्टि और सुरक्षा

2023. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान यात्रियों की संतुष्टि और सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) **:** हवाई यात्रियों को सुविधा प्रदान करने तथा उनकी संरक्षा और उनके हितों के संरक्षण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निम्नलिखित विनियम जारी किए हैं:

i. दिव्यांग व्यक्तियों और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों का हवाई मार्ग द्वारा वहन [नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड 3, श्रृंखला एम, भाग I]।

ii. यात्रियों को एयरलाइन टिकटों के किराए की धनवापसी (सीएआर खंड 3, श्रृंखला एम, भाग II)।

iii. विमान में चढ़ने से मना करने, उड़ानों के रद्द किए जाने तथा उड़ान में विलंब के मामलों में एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं (सीएआर खंड 3, शृंखला एम, भाग IV)।

iv. विमान के मार्ग परिवर्तन के मामले में यात्रियों को सुविधा प्रदान करना (सीएआर खंड 3, श्रृंखला एम, भाग V)।

****